भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/58/2018 दिनांक: 24 अगस्त, 2018

<u>प्रेस नोट</u>

विषय : निर्वाचन संबंधी विभिन्न सुधारों के संबंध में राजनैतिक दलों के साथ बैठक।

भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में दिनांक 27 अगस्त, 2018 को सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दलों के साथ एक बैठक निर्धारित की है। यह ध्यान में रखते हुए कि राजनैतिक दल भारतीय निर्वाचन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण हितधारक हैं, भारत निर्वाचन आयोग विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनैतिक दलों के विचारों को उजागर करने के लिए सभी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के साथ समय-समय पर परामर्श बैठकें आयोजित करता रहा है। भारत निर्वाचन आयोग अपनी विद्यमान निर्वाचकीय प्रणाली और प्रचलनों में सुधार करके देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए सदैव इच्छुक रहा है।

सभी 7 पंजीकृत राष्ट्रीय राजनैतिक दलों और 51 राज्यीय राजनैतिक दलों को बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है।

बैठक की कार्यसूची में निर्वाचक नामावलियों की परिशुद्धता पर चर्चा करना शामिल है - भारत निर्वाचन आयोग लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के आगामी निर्वाचनों को देखते हुए निर्वाचक नामावलियों की यथार्थता, पारदर्शिता और समावेशिता को सुधारने के उपायों के संबंध में सभी दलों के विचार आमंत्रित करता है।

जहां तक राजनैतिक दलों में लैंगिक प्रतिनिधित्व और तुलनात्मक अंतराष्ट्रीय अनुभव का संबंध है, भारत निर्वाचन आयोग ऐसे उपायों के संबंध में विचार आमंत्रित करेगा जो राजनैतिक दल के संगठनात्मक ढांचे में तथा विधायी निकायों के लिए निर्वाचन लड़ने हेतु अभ्यर्थी के रूप में चयन करने में महिलाओं के अधिकाधिक प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहन देने हेतु राजनैतिक दल द्वारा किए जा सकते हैं।

निर्वाचन व्यय विनिमय के विषय के संबंध में विधान परिषद के निर्वाचनों के लिए व्यय की उच्चतम सीमा और राजनैतिक दलों के व्यय को सीमित करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वार्षिक लेखापरीक्षित रिर्पोटों, निर्वाचन व्यय रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन उपायों पर चर्चा करना भी कार्यसूची में शामिल है।

निर्वाचन अभियान मौन अवधि - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(1)(ख) की परिधि के अंतर्गत प्रिंट मीडिया के समावेशन और मतदान के समापन से पहले अंतिम 48 घंटों के दौरान सोशल मीडिया पर किसी दल/अभ्यर्थी की निर्वाचन संबंधी संभावनाओं को प्रोत्साहन देने या हानि पहुंचाने हेतु ऑनलाइन प्रचार के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी।

निर्वाचन के संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों अर्थात्(क) अंतर्राज्यीय प्रवासियों और अनुपस्थित मतदाताओं के लिए मतदान के वैकल्पिक तरीकों; (ख)ईटीपीबीएस स्कीम के प्रचालन के संबंध में राजनैतिक दलों के विचारों एवं प्रतिक्रिया; (ग) दिव्यांगजन मतदाताओं की निर्वाचकीय सहभागिता को प्रोत्साहित करने के प्रयास के संबंध में राजनैतिक दलों के विचारों एवं प्रतिक्रिया पर भी चर्चा की जाएगी।

व्यापक, समावेशी निर्वाचन सहभागिता की पहुँच बढ़ाने और इसे प्रोत्साहित करने हेतु आयोग के प्रयासों के संबंध में राजनैतिक दलों के विचार और प्रतिक्रिया भी आमंत्रित की जाएगी।

हस्ताक्षरित/-

(पवन दीवान)

अवर सचिव